संख्या-2 ... / आ0वि0 / अभि0 / 2001-201 / आ0वि0 / 2001

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
आवास एवं शहरी विकास,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तरांचल,
देहरादून ।

आवास / नगर विकास / अभि0 शाखा

देहरादून:दिनाँक:01 अगस्त, 2001

विषयः- **शहरी विकास निदेशालय के अन्तर्गत स्थानीय निकायों / जिला नागर विकास अभिकरणों के संरचनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के स्थानीय निकायों एवं जिला नागर विकास अभिकरणों के संरचनात्मक ढाँचे के पुनर्गठन के उपरान्त संलग्नक-1 में उल्लिखित 387 तथा संलग्नक-2 में उल्लिखित 73 पदों के सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्थानीय निकायों के लिये स्वीकृत पदों पर भर्ती तभी की जायेगी, जब सम्बन्धित निकाय द्वारा यह "अण्डरटेकिंग" दे दी जायेगी कि वे अपने संसाधनों से व्यय का वहन करने में सक्षम हैं । उक्त "अण्डरटेकिंग" सम्बन्धित निकाय द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त को प्रेषित की जायेगी और मण्डलायुक्त की संस्तुति के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराई जायेगी । साथ ही साथ वर्तमान में निकायों में उपलब्ध कार्मिकों में अधिशेष (सरप्लस) अधिकारियों / कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध रूप से इन पदों को समाप्त कर तथा इस दौरान इनके "रिडिप्लॉयमेन्ट" पर भी विचार कर लिया जाय ।

सृजित किये गये पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रचलित नियमों / नियमावलियों के अधीन की जायेगी । किसी भी दशा में स्थानीय स्तर पर बिना शासन की अनुमति के किसी पद पर भर्ती नहीं की जायेगी ।

सृजित किये गये पदों पर पदस्थापना का विवरण संलग्नक के कालम -6 पर दिया गया है उसी के अनुसार पदों की पदस्थापना किया जाना सुनिश्चित करें । यदि किसी कारणवश पदस्थापना में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो बिना शासन की पूर्वानुमति के इस प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाय ।

5— सृजित पदों में लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों का अधियाचन भी यथा आवश्यकता तत्काल शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि तदान्तर्गत अधियाचन आयोग को उपलब्ध कराकर पदों को भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाह सके ।

6— जिला नगर विकास अभिकरणों के लिये सृजित समस्त पदों पर तैनाती यथा सम्भव स्थानीय निकायों से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः—उक्तवत्

भवदीय,

पी0सी0शर्मा
सचिव,
शहरी विकास एवं आवास ।

संख्या—2006 (1)/न0वि0/अभि0/2001—264/न0वि0/2001,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ,उत्तरांचल ।
2— स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव ।
3— अपर सचिव, गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग को उनके पत्र संख्या—4/2/17/2001—सी. एक्स ,दिनॉक 31—7—2001 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4— आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी/आयुक्त कुमॉऊ मण्डल,नैनीताल ।
5— समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
6— प्रशासक,नगर निगम,देहरादून ।
7— समस्त अध्यक्ष—नगर पाकिा परिषद/नगर पंचायत । (जिलाधिकारी के माध्यम से)
8— समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (जिलाधिकारी के माध्यम से)
9— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव,
शहरी विकास एवं आवास ।

शासनादेश संख्या— ____/ न0वि0/ अ0नि0—2001—204 न0वि0/2001, दिनाँक ____ अगस्त, 2001 का संलग्नक—1

नगर निगम/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के संगठनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन ।

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात् स्वीकृत पद	प्रस्तावित पदों पर पदस्थापना
एक	दो	तीन	चार	पाँच
1	उप नगर अधिकारी	10000—15200	2	नगर निगम देहरादून के लिये
2	सहायक नगर अधिकारी	8000—13500	2	—तदैव—
3	लेखाधिकारी	वित्त एवं लेखा संवर्ग	1	—तदैव—
4	अधि0अभियन्ता	10000—15200	1	—तदैव—
5	नगर अभियन्ता (सहायक अभियन्ता स्तर)	8000—13500	8	नगर निगम देहरादून—2 पद(सिविल) 1 पद वि0/यॉन्त्रिक नगर पालिका परिषद,नैनीताल,हरिद्वार,मसूरी,ऋषिकेश,हल्द्वानी प्रति नगर पालिका परिषद—1 पद
6	चिकित्सा अधिकारी5	8000—13500	1	मृत संवर्ग घोषित किया जाना है । वर्तमान में एक मात्र पदधारक छः माह में सेवा निवृत्त हो रहे हैं ।
7	पशु चिकित्सक	8000—13500	—	संवर्ग समाप्त किया जाना प्रस्तावित है
8	अधिशासी अधिकारी	8000—13500	7	एक करोड़ रुपये या उससे अधिक राजस्व एकत्र करने वाली नगर पालिका परिषद हेतु प्रति नगर पालिका —1 पद

एक	दो	तीन	चार	पाँच
9	अधिशासी अधिकारी	5000—8000	4	रुपये पचास लाख से अधिक तथा एक करोड़ तक राजस्व एकत्रित करने वाली नगर पालिका परिषद् हेतु प्रति नगर पालिका परिषद्—1 पद
10	अधिशासी अधिकारी	4500—7000	10	रुपये पच्चीस लाख से पचास लाख तक का राजस्व एकत्र करने वाली नगर पालिका परिषद् हेतु प्रति नगर पालिका परिषद्—1 पद
11	अधिशासी अधिकारी	3200—4900	42	पच्चीस लाख तक का राजस्व एकत्र करने वाली नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत हेतु प्रति नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत—1 पद
12	अवर अभियन्ता	4500—7000	37	नगर निगम देहरादून—4 पद (सिविल) 1 पद विद्युत, 1 पद यॉन्त्रिक कुल — 6 पद प्रति नगर पालिका परिषद् —1 पद
13	जोनल सैन्ट्टी अधिकारी	6500—10500	2	नगर निगम देहरादून के लिये—2 पद
14	मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	4500—7250	8	नगर निगम देहरादून—2 पद नगर पालिका परिषद् हरिद्वार —1 पद नगर पालिका परिषद् नैनीताल—1 पद नगर पालिका परिषद् मसूरी—1 पद नगर पालिका परिषद् हल्द्वानी—1 पद नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश— 1 पद नगर पालिका परिषद् काशीपुर—1 पद
15	कार्यालय अधीक्षक	4500—7000	7	नगर निगम देहरादून—1 पद नगर पालिका परिषद् हरिद्वार —1 पद नगर पालिका परिषद् नैनीताल—1 पद नगर पालिका परिषद् मसूरी—1 पद नगर पालिका परिषद् हल्द्वानी—1 पद नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश— 1 पद नगर पालिका परिषद् काशीपुर—1 पद
16	कर एवं राजस्व अधीक्षक	4500—7200	36	नगर निगम 5 पद प्रति नगर पालिका परिषद्— 1 पद

एक	दो	तीन	चार	पाँच
17	लेखाकार	4500–7000	33	नगर निगम,देहरादून– 2 पद प्रति नगर पालिका परिषद–1 पद
18	सहायक कर अधीक्षक	4000–6000	—	मृत संवर्ग घोषित किया जाना प्रस्तावित है
19	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	4000–6000	73	नगर निगम,देहरादून – 4 पद नगर पालिका परिषद हरिद्वार– 2 पद नगर पालिका परिषद नैनीताल –2 पद नगर पालिका परिषद मसूरी – 2 पद नगर पालिका परिषद हल्द्वानी– 2 पद नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश– 2 पद नगर पालिका परिषद, काशीपुर– 2 पद अवशेष नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु प्रति नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत–1 पद
20	प्रधान लिपिक	4000–6000	24	एक करोड़ रुपये राजस्व एकत्र करने वाली परिषदों को छोड़कर शेष नगर पालिका परिषदों में प्रति नगर पालिका परिषद –1 पद
21	कर एवं राजस्व निरीक्षक	3200–4900	89	नगर निगम,देहरादून – 20 पद नगर पालिका परिषद हरिद्वार–2 पद नगर पालिका परिषद नैनीताल –2 पद नगर पालिका परिषद मसूरी – 2 पद नगर पालिका परिषद हल्द्वानी– 2 पद नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश– 2 पद नगर पालिका परिषद, काशीपुर– 2 पद अवशेष नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु प्रति नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत–1 पद
	योग:–		387	

(पी0सी0शर्मा)
सचिव